डी एन ए टेस्ट

पन्द्रहवें सेमिनार 13 मार्च 2006 ई0 मुताबिक़ 10-12 सफ़र 427 हिजरी मैसूर में ही डीएनए परीक्षण के बारे में यह फ़ैसले किए गए किः

1- जिस बच्चे का नसब (वंश) शरई सिद्धांत के अनुसार साबित हो उसके बारे में डीएनए टेस्ट के ज़रिए शक पैदा करना जायज़ नहीं है।

2- अगर किसी बच्चे के कई दावेदार हों और किसी के पास शरई सबूत न हो तो ऐसे बच्चे का वंश डीएनए टेस्ट के ज़रिए निर्धारित किया जा सकता है।

3- जो अपराध ऐसे हैं जिनपर हद और क़िसास (बदला) के निर्देश लागू होते हों उनके सबूत के लिए मन्सूस (क़ुरआन व हदीस से प्रमाणित) तरीक़ों के बजाए डीएनए टेस्ट मान्य नहीं होगा।

4- हद और क़िसास के अतिरिक्त अन्य अपराधों की छानबीन के लिए डीएनए टेस्ट से मदद ली जा सकती है और क़ाज़ी ज़रूरत पड़ने पर इसके लिए मजबूर भी कर सकता है।

☆☆☆